

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई०ए०एस० अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-136/2011/भीलवाड़ा (2011/00015)

1. महावीर सिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी भोपा की कमेरी, तह. माण्डल जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांत

बनाम

1. तारासिंह पुत्र सोहनसिंह,
2. जवाहरसिंह पुत्र सोहनसिंह,
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह,
4. रामसिंह पुत्र प्रेमसिंह,
5. नारायणसिंह पुत्र प्रेमसिंह,
6. मेघसिंह पुत्र प्रेमसिंह,
7. गुमानसिंह पुत्र प्रेमसिंह,
8. मानसिंह पुत्र दूदासिंह,
9. घीसासिंह पुत्र दूदासिंह,
10. लुम्बसिंह पुत्र दूदासिंह,
11. वेणसिंह पुत्र गिरधारीसिंह,
12. पूरणसिंह पुत्र गिरधारीसिंह,
13. जालमसिंह पुत्र रूपसिंह,
14. त्रिलोकसिंह पुत्र उदयसिंह,
15. नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह,
16. दुर्गसिंह पुत्र उदयसिंह,
17. मालसिंह पुत्र उदयसिंह,
18. मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह,
19. नेनूसिंह पुत्र उदयसिंह,
20. हीरासिंह पुत्र रूपसिंह,
21. बाबूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह,
22. भंवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह,
23. पूनमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह,
24. राजेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह,
25. मीठूसिंह पुत्र नवलसिंह,
26. प्रतापसिंह पुत्र नवलसिंह,
27. मदनसिंह पुत्र नवलसिंह,
28. अमरसिंह पुत्र नवलसिंह,
29. मु० गंगा पत्नी नवल सिंह,

30. लक्ष्मणसिंह पुत्र कान सिंह,
31. चूणसिंह पुत्र भूर सिंह,
32. चैनसिंह पुत्र भूर सिंह,
33. हजारीसिंह पुत्र कानसिंह,
34. तारासिंह पुत्र कानसिंह,
35. जसवन्सिंह पुत्र गंगासिंह,
36. पदमसिंह पुत्र गोपाल सिंह,
37. सरदारसिंह पुत्र सुजान सिंह,
38. गोविन्दसिंह पुत्र सुजानसिंह,
39. रामसिंह पुत्र नारायणसिंह,
40. आसूसिंह पुत्र नारायणसिंह,
41. ईश्वरसिंह पुत्र नारायणसिंह,
42. केवलसिंह पुत्र कर्मसिंह,
43. धमेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह,
44. राजेन्द्रसिंह पुत्र मेघसिंह,
45. देबीसिंह पुत्र कर्मसिंह,
46. पन्नासिंह पुत्र भरूसिंह,
47. कल्याणसिंह पुत्र भैरूसिंह,
48. हजारीसिंह पुत्र दल्लासिंह,
49. लालसिंह पुत्र नैनूसिंह,
50. बाबूसिंह पुत्र रासासिंह,
51. भैरूसिंह पुत्र रासासिंह,
52. नाथूसिंह पुत्र किशन सिंह,
53. शाबूसिंह उर्फ देबीसिंह पुत्र किशनसिंह,
54. गणपतसिंह पुत्र मानसिंह,
55. चन्दनसिंह पुत्र मानसिंह,
56. केसरसिंह पुत्र मानसिंह,
57. मोडसिंह पुत्र पूरणसिंह,
58. भगवानसिंह पुत्र खूमसिंह,
59. अर्जुनसिंह पुत्र राजूसिंह,
समस्त जाति रावत राजपूत, निवासीगण पिपलिया, तह0 माण्डल जिला
भीलवाड़ा ।
60. चावण्डसिंह पुत्र रणजीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ज्ञानगढ़, तह0 माण्डल,
जिला भीलवाड़ा **(मृतक) जरिये वारिसान:-**
60/1- भैरूसिंह पुत्र चावण्डसिंह,
60/2- भगवती देवी पत्नि चावण्ड सिंह ।
61. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल ।

रेस्पोडेंट्स

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय
विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 30.5.2011 अंतर्गत अपील संख्या
18/2011 .**

उपस्थित:-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पों संख्या 1 .

निर्णय

दिनांक :- 23.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2011 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत धारा 96 जा०दी० के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पों संख्या 1 ने विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में अतिरिक्त तहसीलदार, करेड़ा द्वारा अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.4.2009 के आधार पर स्वीकृत नामांतरण संख्या 1101 निर्णय दिनांक 28.12.2010 के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गाजूणा मजरा लक्ष्मीपुरा में अवस्थित आराजी खसरा संख्या 2608, 2644, 2698, 2805, 2809, 2810, 2811 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा भूमि रेस्पों संख्या 60 चावण्डसिंह के खाते की कृषि भूमि होकर वह खातेदार काश्तकार था । रेस्पों संख्या 60 चावण्डसिंह ने उक्त आराजियात अन्य आराजियात के साथ रेस्पों संख्या 1 के पिता सोहनसिंह एवं अन्य 32 व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था । विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 के आधार पर नामांतरण संख्या 170 संस्थित कर दिनांक 21.9.1984 को विधिवत् निर्णित कर दिया गया लेकिन नामांतरण संख्या 170 का इंद्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं किये जाने पर रेस्पों संख्या 1 के पिता सोहनसिंह ने अपने जीवनकाल में एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्य 32 केताओं एवं चावण्डसिंह व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया । उक्त वाद विद्वान सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.1999 के द्वारा खारिज कर दिया । विद्वान सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.1999 के विरुद्ध रेस्पों संख्या 1 के पिता वादी सोहनसिंह ने विद्वान भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की । दौराने अपील रेस्पों संख्या 1 के पिता सोहनसिंह का देहांत हो जाने से अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । रेस्पों संख्या 60 चावण्डसिंह द्वारा नामांतरण में लिप्त आराजियात रेस्पों संख्या 1 के पिता एवं अन्य 32

व्यक्तियों को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के बाद रेस्पों संख्या 60 चावण्ड सिंह को अपीलांट को प्रश्नगत नामांतकरण में लिप्त आराजियात को दिनांक 20.4.2009 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था फिर भी भूमि का विक्रय कर दिया व विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया गया । उक्त विक्रय पत्र अवैध व शून्य है । उक्त विक्रय पत्र दिनांक 20.4.2009 के आधार पर अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामांतकरण संख्या 1101 दिनांक 28.12.2010 भी अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 30.5.2011 द्वारा रेस्पों संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1101 वाके ग्राम गाजूणा निर्णय दिनांक 20.12.2010 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधीन्याया के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटस को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोंडेंट संख्या 1 के उपस्थित होने तथा अधीन्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx
- 3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पों संख्या 1 द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी जिसे अधीन्याया ने मात्र इस आधार पर अंदर मियाद शुमार किया है कि अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधीन के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है । रेस्पों संख्या 1 को अपीलांट के पक्ष में रेस्पों संख्या 60 चावण्ड सिंह द्वारा किये गये विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1101 दिनांक 28.12.2010 की जानकारी प्रारंभ से थी इसके बावजूद रेस्पों संख्या 1 ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे मिथ्या एवं गलत होने के बावजूद अधीन्याया ने अपील को अंदर मियाद मानने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पों संख्या 1 के पिता सोहनसिंह ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विद्वान सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में नामांतकरण में लिप्त आराजियात बाबत् रेस्पों संख्या 60 चावण्डसिंह व अन्य 31 प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया था जो निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.1999 के द्वारा खारिज कर दिया गया है । उक्त वाद खारिज होने के बाद विवादित आराजियात का चावण्डसिंह ही खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा । चावण्डसिंह ने विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के अपीलांट को विक्रय कर कब्जा दिया है जिससे अपीलांट सदभावी क्रेता है । रेस्पों संख्या 1 को नामांतकरण संख्या 1101 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पों संख्या 1 नामांतकरण के प्रकरण में पार्टी इन प्रोसिडिंग नहीं होने से बिना धारा 96 जादी के अपील प्रस्तुत

करने का अधिकार नहीं था परन्तु अधीन्याया ने धारा 96 जादी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद रेस्पों संख्या 1 की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। रेस्पों संख्या 1 के पिता द्वारा प्रस्तुत वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में अपास्त हो चुका है जिसे रेस्पों संख्या 1 ने अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कथन किया है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र की वर्तमान स्थिति के संबंध में रेस्पों संख्या 1 ने स्पष्ट नहीं किया है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पों संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में नामांतरण में लिप्त आराजियात की घोषणा उसके पक्ष में सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने से नामांतरण की समरी प्रोसिडिंग में अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतरण संख्या 1101 को निरस्त नहीं किया जा सकता था। विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर रेस्पों संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुए नामांतरण संख्या 1101 को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात पर रेस्पों संख्या 1 का कब्जा काश्त पूर्व में भी नहीं था एवं ना ही वर्तमान में है बल्कि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है। अधीन्याया ने इन सभी उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2011 को अपास्त किया जावे तथा नामांतरण संख्या 1101 दिनांक 28.12.2010 को यथावत् रखा जावे। xx

- 4- विद्वान वकील रेस्पोंडेंटस संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधीन्याया का निर्णय विधिसम्मत है। रेस्पों संख्या 60 चावण्डसिंह ने अपने खातेदारी अधिकार की विवादित आराजी नंबर 2608, 2644, 2698, 2805, 2809, 2810 व 2811 कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 5 को अन्य आराजियात के साथ रेस्पों संख्या के पिता सोहनसिंह एवं अन्य 32 व्यक्तियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 को हस्तांतरित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। चावण्डसिंह को विवादित आराजियात पुनः अपीलांट को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पों संख्या 1 के पिता के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 के आधार पर इंतकाल संख्या 170 खुलकर दिनांक 21.9.1984 को विधिवत् फैसल कर दिया गया था तो फिर पुनः उक्त आराजियात का हस्तांतरण करना अवैध एवं प्रभावशून्य है। रेस्पों संख्या 1 के पिता सोहनसिंह के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 के आधार पर विवादित आराजियात रेस्पों संख्या 1 के पिता एवं अन्य 32 क्रेताओं के नाम पर खातेदार कृषक की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जाने पर रेस्पों संख्या 1 के पिता सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अन्य 32 क्रेताओं एवं चावण्डसिंह व राज्य

सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया जो न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 24.11.1999 को खारिज कर दिये जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.1999 के विरुद्ध भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सोहनसिंह का देहांत हो जाने से रेस्पो0 संख्या 1 को उक्त अपील की जानकारी न होने से अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी जिसको पुनः नंबर पर लेने हेतु रेस्पो0 संख्या 1 ने भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। उक्त कार्यवाही की रेस्पो0 संख्या 60 चावण्डसिंह एवं अपीलांट को जानकारी होने के बावजूद चावण्डसिंह द्वारा विवादित भूमि का पश्चात्वर्ती विक्रय अपीलांट को किया गया है जो प्रारंभ से अवैध एवं प्रभावशून्य है। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने से रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 में प्रस्तुत कर उक्त आराजियात के विक्रय पत्र का अन्य व्यक्तियों के नाम पंजीयन नहीं करने बाबत दिनांक 14.1.2010 को प्रस्तुत कर दिया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने जानबूझकर उक्त आराजियात के विक्रय पत्र का पुनः पंजीयन कर तथाकथित नामांतकरण संख्या 1101 तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है। विवादित आराजियात के संबंध में वाद के लंबित रहते रेस्पो0 संख्या 60 चावण्ड सिंह द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया गया पश्चात्वर्ती विक्रय पत्र अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तथाकथित पश्चात्वर्ती विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण संख्या 1101 तस्दीक करने में त्रुटि कारित की थी जिसे अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत रूप से अपास्त करने के आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे।

- 5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 60 मृतक चावण्ड सिंह द्वारा विवादित आराजियात का बैचान अपीलांट एवं अन्य 32 व्यक्तियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.4.2009 किया गया है। उक्त विक्रय की पालना में अपीलांट के नाम नामांतकरण संख्या 1101 दिनांक 28.12.2010 को अतिरिक्त तहसीलदार, करेड़ा द्वारा निर्णित किया जाकर संस्थित किया गया है। इसी प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार रेस्पो0 संख्या 60 मृतक चावण्ड सिंह द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सोहनसिंह एवं अन्य 32 व्यक्तियों को विवादित भूमि का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 को किया गया था तथा विक्रय पत्र दिनांक 19.4.1979 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा

नामांतकरण संख्या 170 दिनांक 21.9.1984 को भरा गया था जो तत्समय में भूमि का विक्रय राज0काशत0अधि0 की धारा 42-क के विपरीत होने से नामांतकरण संख्या 170 को अस्वीकार किया गया है ।

- 6- पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में ही रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सोहनसिंह द्वारा रेस्पो0 संख्या 60 चावण्डसिंह के विरुद्ध एक राजस्व वाद विद्वान सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसे विद्वान सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.1999 को अपास्त किया तथा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.1999 के विरुद्ध रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सोहनसिंह द्वारा विद्वान भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दी गई किन्तु अपील के विचाराधीन रहते वादी सोहनसिंह की मृत्यु हो जाने के उपरांत उक्त अपील को अदम-हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त किया गया था । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील मीमों एवं दौराने बहस यह कथन किया है कि भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील पुनः नंबर पर ली जाकर विद्वान भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने रेस्पो0 संख्या 1 की अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 25.9.2013 से अपास्त की है तथा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.9.2013 के विरुद्ध मान0 राजस्व मण्डल में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपील टी0ए0 संख्या 6265/2013/भीलवाड़ा प्रस्तुत की गई जो मान0 राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । यद्यपि यह सही है कि रेस्पो0 संख्या 60 चावण्डसिंह द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सोहनसिंह एवं अन्य के पक्ष में किया गया विक्रय दिनांक 19.4.1979 राज0काशत0अधि0 की धारा 42-क के विपरीत होने से तथाकथित विक्रय के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के पिता के नाम नामांतकरण संख्या 170 स्वीकृत नहीं हो सका था किन्तु यह भी सही है कि रेस्पो0 संख्या 1 के पिता सोहनसिंह के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र आदिनांक प्रभावी है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चावण्ड सिंह के नाम दर्ज रहने से चावण्ड सिंह द्वारा अपीलांट एवं अन्य क्रेताओं को विक्रय किया है । यद्यपि अपीलांट सद्भावी क्रेता है किन्तु अपीलांट के पक्ष में हुआ विक्रय उक्त पश्चात्वर्ती विक्रय है अथवा नहीं तथा रेस्पो0 संख्या 1 के पिता के पक्ष में हुए पूर्व विक्रयपत्र का वर्तमान में क्या प्रभाव रहता है, इन सब तथ्यों को निस्तारण तो मान0 राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील टी0ए0 संख्या 6265/2013 बउनवान तारासिंह बनाम श्रीमती चन्द्रेश कंवर व अन्य में पारित निर्णय में किया जावेगा । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमियों को लेकर विवाद है । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनांक 30.5.2011 द्वारा अपीलांट के पक्ष में संस्थित नामांतकरण को अपास्त किया है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण, रहन, बैचान हो

जाता है तो पक्षकारान के मध्य और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । अतः हम न्यायहित में मान0 मण्डल में विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन अपील टी0ए0 6265/2013 में होने वाले निर्णय तक विवादित आराजियात के संबंध में राजस्व रिकार्ड में विवादित का नोट लगाया जाना उचित समझते हैं ।

- 7- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2011 अपास्त योग्य होकर विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में विवादित करार दिये जाने योग्य तथा प्रकरण तहसीलदार, माण्डल को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

- 8- अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 136/2011 (2011/00015) बउनवान महावीर सिंह बनाम तारासिंह व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 18/2011 बउनवान तारासिंह बनाम जवाहरसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, माण्डल को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात के संबंध में मान0 राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील संख्या 6265/2013 के विचाराधीन रहते मौजा गाजूणा मजरा लक्ष्मीपुरा, तहसील करेड़ा स्थित आराजी खसरा संख्या 2608, 2644, 2698, 2805, 2809, 2810, 2811 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा बाबत् राजस्व जमाबंदी में विवादित का नोट लाल स्याही से अंकित करे एवं पक्षकारान के मध्य मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या टी0ए0 6265/2013 बउनवान तारासिंह बनाम श्रीमती चन्द्रेश में पारित होने वाले निर्णय अनुसार नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

